

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांक: 03.06.2019

वाद-पत्र संख्या :-60 / 2019

GCMS NO:- 2019/00402

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

गोकूल पुत्र लटूर जाति बैरवा निवासी भामर तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

-वादी

बनाम

भूमिधारी जयें तहसीलदार तहसील नैनवाँ जिला बून्दी।

—प्रतिवादी

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी एक्ट

उपस्थिति:-

वादी एवं प्रतिवादी

निर्णय दिनांक 25.10.2021

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम भांमर पटवार हल्का कालामाल तहसील नैनवाँ में भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 296 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 300 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल किता 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि का खातेदार बरधा आ0 मोती चमार निवासी जाल का खेडा मजरा सोरण तहसील हिण्डोली था उससे जयें रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक 19.10.83 को वादी ने उक्त भूमि को खरीद किया था तब से ही उक्त भूमि पर वादी का बदस्तुर कब्जा चला आ रहा है। यह कि वादी ने कई मर्तबा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से इन्तकाल खुलवाने के बारे में प्रार्थना पत्र राजस्व अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया था परन्तु इन्तकाल वादी के नाम नहीं खोला गया। यह वाद का कारण है। यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 296 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 300 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा का खातेदार कृषक विक्रय पत्र के आधार पर वादी को घोषित करवाये तथा इस आशय का अंकन राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में किया जावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में शपथ-पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2 आदि पेश किये।

वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। वाद के सम्बंध में पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवाँ का जवाब/रिपोर्ट प्राप्त की गई। अपने जवाब मे पैरोकार सरकार ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 293 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 296 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 300 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19.10.1983 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खातेदार बरधा आ0 मोती चमार से निवासी भामर ने मन चाह के गोकुल आ0 लटूर कौम बैरवा को बेचान किया था। उक्त भूमि में से ख0 स. 300 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा पर गोकुल पि0 लटूर कौम बैरवा निवासी भामर का कब्जा काशत है तथा मौके पर चरी की फसल खडी है एवं ख0 स0 296 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, ख0 स0 293 रकबा 10 बिस्वा पर पप्पू आ0 मोती कौम बैरवा निवासी भामर का कब्जा काशत है।

हमने वाद-पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत साक्ष्य रिकॉर्ड दस्तावेज व जवाब वाद पत्र, बयान पक्षकारान आदि का अवलोकन किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम भांमर पटवार हल्का कालामाल तहसील नैनवाँ में भूमि खसरा संख्या 293 रकबा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 296 रकबा 1 बीघा 12



Reader/Decisions/2021

उपखण्ड अधिकारी  
नैनवाँ (बून्दी)

Page 210



नैनुवा, खसरा संख्या 300 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 3 कुल किता 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर  
रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है । डिक्री पर्चा जारी किया  
जावे । तहसीलदार नैनुवा को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम  
दर्ज किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में  
सुनाया गया ।



*(Handwritten Signature)*  
उपस्थान्त अधिकारी  
नैनुवा (पुन्दी)